न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 139/2016

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— — **वादी**

—:: बनाम ::—

1. विक्रमजीत पुत्र मुलखराज जाति अरोड़ा साकिन 1/45 शंकर कालोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **प्रतिवादी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 12.06.2018

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 2 ई छोटी के खाता संख्या 45/40 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.530 हैक्टर भूमि खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि चक 2 ई छोटी के खाता संख्या 45/40 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.530 हैक्टर रकबे का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर प्लाट काटकर/ मौके पर 17 मकानों का निर्माण किया जाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा चक 2 ई छोटी के खाता संख्या 45/40 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.530 हैक्टर रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी वाद तामिल उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 10.01.2017 को एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 में ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के दौरान विवादित आराजी का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया के प्रतिवादीगण द्वारा विवादीत आराजी पर मौके पर प्लाट/मकान बनाये जाकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त विवादीत आराजी के सन्दर्भ में भू. रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत किया गया है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः विवादीत आराजी पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किये जानें के कारण वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 2 ई छोटी के खाता संख्या 45/40 के मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.530 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की किया जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 एम.एल. में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर